

कार्यालय जिला परिषद कुल्लू।

कार्यालय आदेश

जिला परिषद बैठक दिनांक 26.03.2015 को विस्तृत चर्चा उपरान्त प्रस्ताव सं० 11 पारित करते हुए पंचायत भवन कुल्लू, मनाली में कमरों की दरों में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किया है। ये दरें दिनांक 15 अप्रैल 2015 से लागू होंगी।

विश्राम गृह ढालपुर कुल्लू में कमरों के लिए निर्धारित दरें।

नाम	Ordinary suit no. 01,03	Ordinary suit no. 04	VIP Suit No. 02	VVIP Suit No. 05
जिला कुल्लू के जिला परिषद सदस्य एवं पंचायती राज विभाग के जिला कुल्लू में कार्यरत कर्मचारियों के लिए	400/-रु०	500/-रु०	500/-रु०	750/-रु०
ग्रा० पंचायत पदाधिकारी/हि० प्र० के पंचायती राज विभाग से संबंधित कर्मचारी	500/-रु०	600/-रु०	600/-रु०	900/-रु०
सामान्य व्यक्तियों के लिए	800/-रु०	900/-रु०	1000/-रु०	1500/-रु०

पंचायत भवन सरवरी में कमरों के लिए निर्धारित दरें।

नाम	Ordinary suit no. 01 to 05	VIP Suit No. 06
जिला कुल्लू के जिला परिषद सदस्य एवं पंचायती राज विभाग के जिला कुल्लू में कार्यरत कर्मचारियों के लिए	200/-रु०	250/-रु०
ग्रा० पंचायत पदाधिकारी/हि० प्र० के पंचायती राज विभाग से संबंधित कर्मचारी	250/-रु०	300/-रु०
सामान्य व्यक्तियों के लिए	350/-रु०	400/-रु०

पंचायत भवन मनाली में कमरों के लिए निर्धारित दरें।

नाम	ग्रीष्मकालीन सत्र (प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक)		शीतकाली सत्र (प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 जुलाई से से 14 अप्रैल तक)	
	Ordinary suits	VIP Suits.	Ordinary suits	VIP Suits.
जिला कुल्लू के जिला परिषद सदस्य एवं पंचायती राज विभाग के जिला कुल्लू में कार्यरत कर्मचारियों के लिए	600/-रु०	800/-रु०	300/-रु०	400/-रु०
ग्रा० पंचायत पदाधिकारी/हि० प्र० के पंचायती राज विभाग से संबंधित कर्मचारी	800/-रु०	1000	400/-रु०	500/-रु०
सामान्य व्यक्तियों के लिए	1200/-रु०	1600	700/-रु०	1000/-रु०
प्रति बैड (शयनकक्ष)	200/-रु०		150/-रु०	

नोट - दरों में छूट तभी दी जाएगी यदि ठहरने वालों द्वारा कोई विभागीय पहचान पत्र प्रस्तुत किया जाता है या कार्यालय स्टैम्प के साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं।


 साचिव
 जिला परिषद कुल्लू